07/07/25 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 10 की वाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल लाई गई। इसके बाद एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों रिकार्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। इसके प्रार्थी वकील की दलीलों का मनन किया गया। पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया तो पाया कि भूमि का [illegible] विभाजन नहीं हुआ है। जब खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)
भुसावर